कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांकः 1656 /12-1:दिनांक देहरादून, 17 फरवरी, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :–जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कपकोट –पिण्डारी ग्लेशियर मोटर मार्ग काफली कमेड़ा मोटर मार्ग (लम्बाई 11.250 किमी0) निर्माण हेतु 6.287 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/13065/2015)

सन्दर्भः–पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय पत्रांक–8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 252 / 2016 / एफ0सी0 / 1588, दिनांक– 11.10.2019, ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगतनीय है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं0 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 252 / 2016 / एफ.सी. / 1588, दिनांक 11.10.2019 के द्वार विषयांकित प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी जिसकी सूचना वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गयी है सूचना निम्नानुसार हैः–

क0सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 12.547 है0 ग्राम–बदियाकोट सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्त्रण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 12.547 है0 ग्राम बदियाकोट, सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 38,46,044.00 मात्र (रू0 अड़तीरा लाख छियालीस हजार चवालीस मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. ICICR 52019111400641988 Dtd 14.11.2019 द्वारा किया जा चुका है। (संलग्न–01) साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 12.547 है0 ग्राम बदियाकोट, सिविल सोयम भूमि का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 501 / छब्बीस–02 वन / 2019–20 दिनांक 22.फरवरी. 2020 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण / नागान्तरण कर दिया गया है।(संलग्नकः–02)
2	Guideline para 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हरतान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/ संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम बदियाकोट 12.547 है0 सिविल भूमि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सख्या 501 / छब्बीस–02 वन / 2019–20 दिनांक 22.फरवरी. 2020 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण / नामान्तरण स्वीकृति प्रदान करा दी गयी है। उक्त भूमि का खसरा खतौनी में स्वाामित्व वन विभाग के नाम पर दर्ज कर दिया गया है। उक्त भूमि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–4 / 20 / 29 के अन्तर्गत संरक्षित / आरक्षित वन क्षेत्र घोषित है। (संलग्नकः–03)
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है किएन0पी0वी0 की धनराशि UTR No. ICICR 52019111400641988 Dtd 14.11.2019 द्वारा रू0

9|C

	जायेगी।	53,12,515.00 मात्र (रू0 तिरेपन लाख बारह हजार पॉच सौ पन्द्रह मात्र) जमा की जा चुकी है **(सलग्न 01 के अनुसार)**।
4	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वता प्रस्तुत की जाए।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊॅ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–4)**
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियॉ (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊॅ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है किएन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि UTR No. ICICR 52019111400641988 Dtd 14.11.2019 द्वारा रू0 91,58,559.00 मात्र (रू0 इक्यानबे लाख अठ्ठावन हजार पॉच सौ उनसठ मात्र) जमा की जा चुकी है **(संलग्न 01 के अनुसार)**।
6	सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ संभव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip plantation की जोयगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊॅ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–5)**

अतः प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊॅ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार :–

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : / 12–1, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊॅ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।
2.प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
3.अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0आई0यू0–2, पी0एम0जी0एस0वाई0, कपकोट बागेश्वर।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।